रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 1992/आषाढ़ 11, 1914
No. 426] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 1992/ASADHA 11, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1992

(आय-कर)

का.आ. 492(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115 ट और धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौदहवां-संशोधन) नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम 1962 के भाग 2 में उप भाग ङ के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"ङ.ङ.—अध्याय 12ग के अधीन खुदरा व्यापारियों आदि के कराधान के लिए सरलीकृत प्रक्रिया के अधीन विवरण

11ङ.ङ. (1) धारा 115ट के उपबंधों के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित विवरण प्रारूप 4क में होगा और उसमें उपदर्शित रीति से सत्यापित किया जाएगा।

(2) प्रारूप दो प्रतियों में होगा और धारा 115ट की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन कर के संदाय के लिए चालान के रूप में भी प्रयोग में लाया जाएगा।"

(3) आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में प्ररूप सं. 4 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप सं. 4क

(आयकर अधिनियम, 1961 का अध्याय 12ग और आयकर नियमों का नियम 11 उ उ. देखिए)

नए करदाताओं के लिए सरलीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत विवरण

शीर्ष : 0021 आयकर—सरलीकृत प्रक्रिया

1. नाम (उपनाम पहले) स्पष्ट अक्षरों में

2. वित्तीय वर्ष

| 1 | 9 | 9 | 2 |

| 1 | 9 | 9 | 3 |

3. निवासीय पता

4. कारबार का पता

5. प्रास्थिति *—व्यष्टि ☐ हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब ☐

6. कारबार या व्यवसाय की प्रकृति*—

खुदरा व्यापार ☐ भोजन स्थल ☐ सिलाई ☐ केश कर्तन ☐

टंकण ☐ फोटोप्रतिलिपिकरण ☐ मरम्मत कार्य ☐ कपड़ा धावन ☐

अन्य कोई व्यवसाय विनिर्दिष्ट करें

7. कारबार या व्यवसाय से मानी गई आय : | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | रु. |

8. माना गया आयतन (केवल खुदरा व्यापारियों को लागू) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | रु. |

9. कर के लिए प्रभार्य कारबार या व्यवसाय से भिन्न अन्य स्रोतों से आय : (5000 रु. से अनधिक) रु.

10. धारा 80 ठ के अधीन कटौतियां : | | | | | रु. |
लाभांश, बैंक निक्षेपों पर ब्याज, अन्य विनिर्दिष्ट निक्षेपों और प्रतिभूतियों पर ब्याज (5000 रु. से अनधिक)

11. कारबार या व्यवसाय से भिन्न स्रोतों से शुद्ध आय (9 में 10 घटाइए) | | | | | रु. |

12. संदेय कर (1400 रु. + धन (11) की रकम का 20 प्रतिशत | | | | | रु. |

मैं घोषणा करता हूं कि मद 6 में वर्णित कारबार या व्यवसाय से वित्तीय वर्ष के दौरान मेरी आय पैंतीस हजार रुपया से अधिक नहीं है और ऊपर वर्णित कारबार या व्यवसाय से भिन्न स्रोतों से मेरी आय 5000 रु. से अधिक नहीं है।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे खुदरा व्यापार के कारबार से आवर्त पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है (केवल खुदरा व्यापारियों को लागू)।

सत्यापन

मैं, ... घोषणा करता हूं कि ऊपर जो कुछ कहा गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही है।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि 1 अप्रैल, 1992 को या इसके पहले प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आयकर के लिए मेरा निर्धारण नहीं हुआ है।

तारीख

स्थान

करदाता के हस्ताक्षर

*टिप्पण : जो लागू हो उस पर निशान लगाएं।

नकद/चैक/ड्राफ्ट सं० .... तारीख	प्राप्तकर्ता बैंक के प्रयोग के लिए
द्वारा (शब्दों में) .... रु. (अंकों में)	भुगतान प्राप्त किया
.... रुपए का संदाय	स्क्रोल में क्रम संख्यांक
(बैंक का नाम) .... की शाखा	.... चैक/ड्राफ्ट के
में किया गया।	निविदान की तारीख ....
	चैक/ड्राफ्ट की राशि ....
संदाय करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर	वसूली की तारीख ....
	....
	रोकड़िया के हस्ताक्षर
	बैंक की मोहरें"

[सं. 9050/फा.सं. 142/18/92-टीपीएल]

के. एम. सुलतान, निदेशक (टीपीएल)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 1992

(INCOME-TAX)

S.O. 492(E).—In exercise of the powers conferred by section 115K and by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Fourtheenth Amendment) Rules, 1992.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Part II of the Income-tax Rules, 1962, after sub-Part E, the following shall be inserted, namely :—

   "EE. Statement under the simplified procedure for taxation of retail traders etc. under Chapter XII-C.

   11EE. (1) The statement which is required to be furnished under the provisions of section 115K shall be in Form No. 4A and be verified in the manner indicated therein.

   (2) The form shall be in duplicate and shall also serve as a challan for the payment of tax under the provisions of sub-section (3) of section 115K."

3. In Appendix II of the Income-tax Rules, 1962, after Form No. 4, the following form shall be inserted, namely :—

"FORM NO. 4A

[See Chapter XII-C of the Income-tax Act, 1961 and rule 11EE of the Income-tax Rules]

Statement under the simplified procedure of new taxpayers

Head : 0021 INCOME-TAX—SIMPLIFIED PROCEDURE

1. Name (Surname First) in Block Letters

2. Financial Year 1992 — 1993

3. Residential Address :

4. Business Address :

5. Status* Individual ☐ Hindu Undivided Family ☐

6. Nature of Business or Vocation*

RETAIL TRADE ☐ EATING PLACE ☐ TAILORING ☐ HAIR CUTTING ☐
TYPING ☐ PHOTOCOPYING ☐ REPAIR WORK ☐ WASHING CLOTHES ☐
ANY OTHER VOCATION SPECIFY :

7. Deemed Income from Business or Vocation : Rs. 35000

8. Deemed Turnover (Applicable only to retail traders) Rs. 500000

9. Income from surces other than Business or Vocation Chargeable to Tax (Not Exceeding Re. 5,000) Rs.

10. Deduction under Secion 80L In respect of income from dividend, interest on bank deposits, interest on other specified deposits and securities (Not exceeding Rs. 5,000) Rs.

11. Net Income from sources other than business or vocation (9 Minus 10) Rs.

12. Tax Payable [Rs. 1400 Plus 30% of Amount at (11)] Rs.

I hereby declare that my income during the financial year from the business or vocation mentioned at item 6 does not exceed thirtyfive thousand rupees and I do not have any income exceeding Rs. 5,000 from sources other than business or vocation mentioned above.

I further declare that the turnover from my business of retail trade does not exceed five lakh rupees. [Applicable only to retail traders].

Verification

I,....., hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.

I further declare that I have not been assessed to income-tax for any assessment year commencing on or before 1st April, 1992.

Date.....
Place.....

.....
Signature of the Taxpayer

NOTE :
*Tick one the which is applicable.

Paid in cash/by cheque/draft No.....dated.....	FOR USE IN THE RECEIVING BANK
Rupees..... Rs.....	Received Payment
(in words) (in figures)	Serial No. in Scroll.....
into.....Branch of.....	Cheque/Draft forwarded on.....
[Name of the bank]	Cheque/Draft realised on.....
	.....
	Signature of Cashier
.....	
Signature of the person making the payment	STAMP OF THE BANK"

[No. 9050/F. No. 142/18/92-TPL]

K.M. SULTAN, Director (TPL)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992